छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 313/2007</u>

डॉ0 मधुसूदन शर्मा,
आयुर्वेद चिकित्साधिकारी,
नगर पालिका औषधालय, चाम्पा,
जिला–जांजगीर चांपा (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय नगर पालिका परिषद्,
चांपा (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थी

:: आदेश ::

(दिनांक 23 अगस्त 2007)

डॉ0 मधुसूदन शर्मा, आयुर्वेद चिकित्साधिकारी, नगर पालिका औषधालय्, चांपा के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की।

2/ अपीलार्थी ने अपील आवेदन में उल्लेख किया है कि उसके द्वारा आवेदन–पत्र दिनांक 04–09–2006 के द्वारा निर्धारित शुल्क जमाकर जानकारी मांगी थी। जानकारी प्राप्त नहीं होने पर दिनांक 05–10–2006 को पुनः आवेदन दिया। इसी प्रकार दिनांक 21–09–2006 तथा 23–09–2006 के पत्रों के द्वारा भी जानकारी चाही गई, किन्तु जानकारी प्राप्त नहीं हुई। प्रथम अपील करने पर भी सुनवाई नहीं की गई।

3/ आयोग के द्वारा दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया गया तथा निर्देश दिये गये कि 15 दिन में जानकारी निःशुल्क प्रदान की जावे। दिनांक 05–07–2007 को जन सूचना अधिकारी श्री आर.सी.तिवारी, राजस्व निरीक्षक उपस्थित हुये। अपीलार्थी को जानकारी प्रदान नहीं करने पर तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा अपील की सुनवाई नहीं करने पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिये संचालक, नगरीय प्रशासन को निर्देश दिये जाने का आदेश पारित किया गया। दिनांक 22–08–2007 को सूचना के उपरान्त भी प्रतिअपीलार्थी जन सूचना अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, चांपा की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया गया।

4/ प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी के द्वारा निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन देने पर भी जानकारी नहीं दी गई और न ही जानकारी नहीं देने के संबंध में कोई आदेश पारित किया गया। आयोग के निर्देश के पश्चात् भी जानकारी नहीं दी गई। जानकारी न दिये जाने पर जन सूचना अधिकारी को अधिनियम की धारा–20(1) के अंतर्गत दिनांक 02–08–2007 को कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया गया, किन्तु उनके द्वारा इस नोटिस का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः

यह पाया जाता है कि प्रतिअपीलार्थी के द्वारा जानबूझकर अपीलार्थी को जानकारी नहीं दी गई है। अतः प्रतिअपीलार्थी पर 5,000/– रुपये (पाँच हजार रुपये मात्र) का अर्थदण्ड आरोपित किया जाता है तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी के विरूद्ध पूर्व आदेशानुसार संचालक, नगरीय प्रशासन को अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश भी दिये जाते हैं। साथ ही यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को अब आदेश प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर वांछित जानकारी निःशुल्क प्रदान की जावे। उक्त जानकारी प्रदान करने के लिये संचालक, नगरीय प्रशासन को निर्देशित किया जाता है कि आदेश के क्रियान्वयन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

5/ उपरोक्त निर्देश के साथ अपील स्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त